

सहायक, कलेक्टर
SNO धोबीमन्ना

15/11/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।

अधिवक्ता क्राधी सं. 01 द्वारा आदेशिका पर

लीड किया कि वे TI का जवाब पेश करना

नहीं चाहे ही हमने पत्रावली का अध्ययन/निर्वाह

किया एवं प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की वदस

विस्तारपूर्वक सुनी।

पत्रावली के अध्ययन से

स्पष्ट है कि प्रार्थी, वादग्रस्त कारागी राजकि

मौजा - मेरठ पटवाट हल्का - मेरठ के खसरा

सं. 347/2 बकबा 0.4856 हेक्टर पर किल्ल

वारानी योग्य का क्राधी सं. 012 के

साथ सहजालेदार दर्ज राजस्व विकसित है।



सहायक कलेक्टर
धोबीमन्ना

प्राथमिक शिक्षा हाजिरी नामाल में धावे 88, 53, 92क, 188 व 209 काश्तकारी कृषि के केंद्रों पर वादग्रस्त किया है

लिखित प्रथम दर्जा कागजात प्राथमिक पक्ष में है साथ ही सुविधा का संतुलन एवं क्षुब्धता प्रति के विन्दु, प्राथमिक पक्ष में प्रतीत होते हैं वाद बहुलता को कम करने के लिए वादग्रस्त कारागी करार है.


347 1/2 एकड़ 0.4856 है. किल्ले बरानी डोयन के राजस्व विफंड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने बाबर. कश्तकारी विधायक को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना विधि द्वारा एवं अचिर होगा।

अर्थात् - मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षाकारण

वादग्रस्त कारागी के राजस्व विफंड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे अर्थात्

वादग्रस्त कारागी का रहण विचार / क्लेरिफिकेशन नहीं करे। किन्तु मूल नामाल में कुनामा

जमा पूजावली, गवर्नर से कर होकर डाकिल फलत है।


सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना